कार्यालय नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

सं0–550 / न0पं0 / 2014–2015

दिनांकः– 13.10.14

टेन्डर नोटिस

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न निर्माण कार्य के लिये सीलबन्द टेन्डर दिनांकः– 28.10.2014 तक दिन के 12बजे तक कार्यालय नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ) में नगर पंचायत खरखौदा के पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित किये जाते है जो दिनांक– 28.10.2014 को कार्यालय नगर पंचायत खरखौदा में ठेकेदारों कें समक्ष दिन के 3 बजें से शाम 4 बजें के मध्य खोले जायेगे। निर्माण कार्य राज्य वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15में प्राप्त धनराशि सें कराये जायेगे। टैन्डर बॉक्स तहसील / नजारत कलैक्ट्रट मेरठ के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

प्रस्तावित कार्यो का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा फार्म की धनराशि	कार्य अवधि
1–पुनः निर्माण कार्य सी0सी0इण्टरलाकिग सडक व नाली वार्ड सं0 9 में लल्लू के मकान सें मूलराज के मकान तक।	4,82,200.00	24,110.00	500.00	60 दिन।
2–निर्माण कार्य सी0सी0इण्टरलाकिंग सडक व नाली वार्ड सं03 में आस मौहम्मद के मकान सें पी0डब्लू0डी0 रोड तक।	1,04,550.00	5,228.00	100.00	45 दिन।
3–निर्माण कार्य सी0सी0इण्टरलाकिंग सडक व नाली वार्ड सं06 में महेन्द्र के मकान सें सोमदत्त के मकान तक व वार्ड सं09 में कैलाश त्यागी के मकान सें सत्यप्रकाश दुधिया के मकान तक।	4,71,150.00	23,558.00	500.00	60 दिन।
4–निर्माण कार्य सी0सी0इण्टरलाकिंग सडक व नाली वार्ड सं08 में प्रकाश के मकान सें ब्लॉक रोड तक व सुरेश त्यागी के मकान सें ब्लॉक कार्यालय तक।	4,96,250.00	24,813.00	500.00	60 दिन।

1. ठेकेदार को टेन्डर देते समय 1000 ~~प्रति~~ जमानत राशि नकद / एन0एस0सी0 के रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के पास में जमा करनी होगी।
2. ठेकेदार को अपने कय किये गये निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा तथा एक शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर स्टाम्प डयूटी के विषय में देना होगा जिसका प्रारूप नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध है। टैन्डर बाक्स कार्यालय नजारत मेरठ / तहसील मेरठ / नगर पंचायत खरखौदा में रखें है।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा सशर्त टेन्डर स्वीकार नही किये जायेगे। किसी भी टेन्डर को बिना कारण बताये रदद किया जा सकता है टेन्डर से सम्बन्धित नियम आदि की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नगर पंचायत खरखौदा के कार्यालय में आकर देखी जा सकती है।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं समाप्त करनें सें पूर्व स्थल का फोटोग्राफी / विडियोग्राफी अपनें व्यय सें करानी होगी। तथा कार्य स्थल पर नगर पंचायत द्वारा बतायी गयी प्रकिया कें अनुसार बोर्ड भी लगाना होगा।
5. यदि कोई किसी भी व्यक्ति कों काई आपत्ति उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में हों तों वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में टैन्डर तिथि सें पूर्व नगर पंचायत कार्यालय में दे सकता है। टैन्डर नोटिस जारी होने कें पश्चात किसी भी ठेकेदार का कोई पंजीकरण नही किया जायेगा।

अर्चना

अधिशासी अधिकारी — अध्यक्ष
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

प्रतिलिपिः–

6. अपर जिलाधिकारी (प्र0) मेरठ को एन0आई0सी0 में प्रकाशन हेतु एवं अवलोकनार्थ।
7. उपजिलाधिकारी महोदय मेरठ कों सूचनार्थ प्रेषित।
8. नाजिर, सदर, / नायब नाजिर तहसील मेरठ
9. समस्त नगर पालिका / नगर पंचायते, जिला, मेरठ
10. दैनिक जागरण / जनवाणी मेरठ / मेरठ समाचार को इस आश्य से प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की तीन प्रतियों के साथ बिल इस निकाय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे,।
11. नोटिस बोर्ड नगर पंचायत खरखौदा
12. समस्त सदस्यगण नगर पंचायत खरखौदा कों सूचनार्थ प्रेषित।

अर्चना

अधिशासी अधिकारी — अध्यक्ष
नगर पंचायत खरखौदा (मेरठ)

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
कृपया प्र0 करें

आज दिनांक 23.10.14 को NIC को दिया

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मेरठ